[2021] 8 एस. सी. आर. 611

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

वी.

चामुंडेश्वरी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6151)

1 अक्टूबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: s.166-घातक दुर्घटना-पीड़ित

मृतक 35 वर्षीय निजी कंपनी में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था-दावेदार पत्नी और नाबालिग बेटा हैं एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह कार चला रहा था-उस समय, अपमानजनक वाहन (आयशर वैन) मृतक की कार के सामने था-यह दावेदारों का मामला था कि अचानक आयशर वैन का चालक दाईं ओर मुड़ गया।

बिना कोई संकेत या संकेत दिए जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई

-

पीड़ित की मृत्यु हो गई और कार में सवार अन्य यात्री यानी प्रथम उत्तरदाता

पत्नी, प्रतिवादी-नाबालिग बेटे और पहले प्रतिवादी की बहन को चोटें आईं-उत्तरदाताओं ने रुपये का दावा किया। 3 करोड़-न्यायाधिकरण ने अनुमति दी

आंशिक रूप से दावा किया और रुपये का मुआवजा दिया। 10,40,500 / - इस निष्कर्ष के साथ कि अंशदायी लापरवाही थी-उच्च न्यायालय ने माना कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई और मृतक की वार्षिक आय रु। 12.29,949 /

रुपये का कुल मुआवजा दिया गया। 1.85 करोड़-बीमा पर

-

कंपनी की अपील में कहा गयाः पीडब्लू-1 के साथ-साथ पीडब्लू-3 का साक्ष्य यह था कि आयशर वैन जो कार के सामने जा रही थी, ने कोई संकेत या संकेतक दिए बिना अचानक दाएं मोड़ ले लिया-पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 का साक्ष्य स्पष्ट था और आयशर वैन के चालक द्वारा किसी भी खंडन साक्ष्य के अभाव में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा कि दुर्घटना केवल आयशर वैन-पीडब्लू-1 के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी जिसने खुद उसी कार में यात्रा की थी और

पुलिस के सामने बयान देने वाले पीडब्लू-3 से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई-रिकॉर्ड पर ऐसे सबूतों को देखते हुए, प्राथमिकी की सामग्री को महत्व देने का कोई कारण नहीं था-दुर्घटना हुई

14.10.2013 पर, उच्च न्यायालय ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए प्रपत्र-16 में मृतक के वेतन को सही ढंग से ध्यान में रखा-हालाँकि, यह उत्तरदाताओं-दावेदारों का दावा था कि मृतक प्रति माह रु. 1,33,070/- कमा रहा था, उसे स्वीकार नहीं किया गया और उच्च न्यायालय ने स्वयं मृतक की आय का आकलन Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष किया-क्योंकि मृतक आई. डी. 4 में था।

स्थायी नौकरी और दुर्घटना की तारीख को मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की संभावनाओं और गुणक को सही ढंग से लागू किया गया था।

अन्य पारंपरिक शीर्षों पर मुआवजा उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से दिया जाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. पीडब्लू-1 के साथ-साथ पीडब्लू-3 के अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आयशर वैन जो सामने जा रही थी

गाड़ी ने बिना कोई संकेत या संकेत दिए अचानक दाएँ मोड़ ले लिया है। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 का साक्ष्य स्पष्ट है और इसके चालक की जांच करके किसी भी खंडन साक्ष्य के अभाव में

आयशर वैन, उच्च न्यायालय ने सही माना है कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई है। पीडब्लू-1 ने खुद उसी कार में यात्रा की और पीडब्लू-3, जिसने पुलिस के सामने बयान दिया है, से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य को देखते हुए, देने का कोई कारण नहीं है प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु को महत्व देना। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के विपरीत चलता है, तो न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज किए गए साक्ष्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री पर महत्व दिया जाना चाहिए। [पैरा 8] [615-ई-एच]

2. दुर्घटना 14.10.2013 पर हुई, उच्च न्यायालय ने वेतन को सही ढंग से ध्यान में रखा है

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए प्रपत्र-16 में मृतक और आश्रितता के नुकसान के निर्धारण के उद्देश्य से मृतक की आय को Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष के रूप में लिया जाता है। हालाँकि, यह उत्तरदाताओं-दावेदारों का दावा था कि मृतक प्रति माह रु. 1,33,070/- कमा रहा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया और उच्च न्यायालय ने स्वयं मृतक की आय का आकलन किया

Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष। चूँकि मृतक स्थायी नौकरी में था और दुर्घटना की तारीख को मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप भविष्य की संभावनाओं और गुणक को सही ढंग से लागू किया गया था। दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मामले में भी। प्रणय सेठी और अन्य।

यहां तक कि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड भी। वी. चामुंडेश्वरी

अन्य पारंपरिक शीर्षों पर मुआवजे की राशि प्रदान की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा सही। [पैरा 9] [616-डी-जी]

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम। दिल्ली परिवहन

निगम और एक अन्य 2009 (6) एससीसी 121: [2009] 5

एस. सी. आर. 1098; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम।

प्रणय सेठी और अन्य 2017 (16) एस. सी. सी. 680: [2017]

13 एस. सी. आर. 100-पर निर्भर।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। प्रेमलता शुक्ला

और अन्य 2007 (13) एससीसी 476 [2007] 6 एससीआर 780;

निशान सिंह और अन्य बनाम। ओरिएंटल बीमा

कंपनी लिमिटेड 2018 (6) एससीसी 765: [2018] 6 एससीआर 795

- अप्रयोज्य रखा गया।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 6 एससीआर 780

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 6

अप्रयोज्य रखा गया

[2018] 6 एससीआर 795

पै

रा 6

[2009] 5 एससीआर 1098

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2017] 13 एससीआर 100

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6151

2021

उच्च न्यायालय के 03.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. एम. ए. सं. 1204 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के. के. भट, रंजन कुमार पांडे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

वी. बालाजी, राकेश के. शर्मा, शांता रमन, सेल्वी जॉर्ज,

गर्वेश काबरा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (तीसरी) द्वारा दायर की गई है।

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी), 2018 के सी. एम. ए. No.1204 में मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 03.08.2018 के निर्णय और आदेश से व्यथित। उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर सिविल विविध अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है। 1 और 2, मुआवजे को बढ़ाकर रु. 1,85,08,832/- कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. पहला उत्तरदाता पत्नी है और दूसरा उत्तरदाता मृतक श्री सुभाष बाबू का नाबालिग बेटा है, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

4. प्रतिवादी सं. द्वारा दायर दावा याचिका में। 1 और 2 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायालय के समक्ष, तिरुपुर, उत्तरदाताओं ने 3 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया। उत्तरदाताओं ने आयशर वैन के चालक की ओर से लापरवाही का अनुरोध किया क्योंकि उसने बिना कोई संकेत या संकेत दिए सही मोड़ लिया है, जैसे कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई है। अपीलार्थी और अन्य लोग दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुए और दावे का विरोध किया। दावा न्यायाधिकरण ने 2014 के M.C.O.P में पारित 11.12.2017 के आदेश के माध्यम से दावे को आंशिक रूप से अनुमति दी है और इस निष्कर्ष के साथ Rs.10,40,500/- का मुआवजा दिया है कि दोनों वाहनों के चालकों की ओर से अंशदायी लापरवाही थी।

मृतक और आयशर वैन के चालक का अनुपात क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। अपील पर, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज करके कहा कि दुर्घटना केवल चालक की लापरवाही के कारण हुई आयशर वैन और मृतक की वार्षिक आय रु। 12,29,949 / - , रू. 1,85,08,832/- का कुल मुआवजा दिया गया है, जिसमें पारंपरिक शीर्षों पर मुआवजा भी शामिल है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित बीमा कंपनी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की।

5. हमने अपीलार्थी-बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री के. के. भट और विद्वान वकील श्री वी. बालाजी को सुना है।

उत्तरदाताओं-दावेदारों के लिए उपस्थित होना।

6. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण है

दोगुना। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि न्यायाधिकरण ने मृतक और उसके चालक की ओर से लापरवाही को सही ढंग से विभाजित किया है।

आइशर वैन, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के विपरीत, उच्च न्यायालय द्वारा इसे पलट दिया गया था।

वी. चामुंडेश्वरी [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

अभिलेख पर साक्ष्य। मुख्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दुर्घटना केवल मृतक की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी की जाती है। विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। प्रेमलता शुक्ला और अन्य 'और निशान सिंह और अन्य के मामले में v. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2. इसके अलावा, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा मृतक की आय दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में अत्यधिक है, जैसा कि दावा याचिका में कहा गया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के वकील श्री वी. बालाजी ने कहा कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

मृतक मारुति कार चला रहा था और उनके आगे आयशर वैन आगे बढ़ रही थी और उक्त वैन का चालक बिना किसी संकेत या संकेत के दाईं ओर मुड़ गया और उक्त चूक के कारण दुर्घटना हो गई। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रबंधक एचआर के रूप में काम कर रहा था और प्रति माह रु. 1,33,070/- की राशि कमा रहा था, इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने मृतक की आय Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष ली है और मुआवजे का आदेश दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मौखिक और अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायसंगत मुआवजा दिया जाता है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। 8. पीडब्लू-1 के साथ-साथ पीडब्लू-3 के रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आयशर वैन जो कार के सामने जा रही थी, बिना कोई संकेत या संकेत दिए अचानक दाईं ओर मुड़ गई। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 का साक्ष्य स्पष्ट है और आयशर वैन के चालक की जांच करके किसी भी खंडन साक्ष्य के अभाव में, उच्च न्यायालय ने सही माना है कि दुर्घटना केवल आयशर वैन के चालक की लापरवाही के कारण हुई है। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-1 ने खुद उसी कार में यात्रा की और पीडब्लू-3, जिसने पुलिस के सामने बयान दिया है, से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई। अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को महत्व देने का कोई कारण नहीं है। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के विपरीत चलता है, तो न्यायाधिकरण के समक्ष दर्ज किए गए साक्ष्य को प्रथम सूचना की सामग्री पर महत्व दिया जाना चाहिए।

1 2007 (13) एससीसी 476

2 2018 (6) एससीसी 765 [2021] 8 एस. सी. आर.

रिपोर्ट करें। निर्णय में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में अपीलार्थी के वकील द्वारा भरोसा किया गया। प्रेमलता शुक्ला और

9. मुआवजे की मात्रा के संबंध में भी, उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना 14.10.2013 पर हुई थी, उच्च न्यायालय ने मृतक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए फॉर्म-16 में बताए गए वेतन को सही ढंग से ध्यान में रखा है और मृतक की आय को Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष के रूप में लिया गया है। निर्भरता के नुकसान का निर्धारण। हालाँकि, यह उत्तरदाताओं-दावेदारों का दावा था कि मृतक रुपये कमा रहा था। 1,33,070 / - प्रति माह, इसे स्वीकार नहीं किया गया और उच्च न्यायालय ने स्वयं मृतक की आय का आकलन Rs.12,29,949/- प्रति वर्ष किया। चूँकि मृतक स्थायी नौकरी में था और दुर्घटना की तारीख को मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की संभावनाओं और गुणक को सही ढंग से लागू किया गया था, जो सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के मामले में भी। प्रणय सेठी और अन्य 1. यहां तक कि अन्य पारंपरिक शीर्षों पर मुआवजे की राशि भी उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से दी जाती है। उपरोक्त कारणों से, हम इस दीवानी अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

लागतों के लिए। 3 3 2009 (6) एस. सी. सी. 121 2017 (16) एस. सी. सी. 680 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

राष्ट्रीयकृत बैंक में एकमुश्त मुआवजे को जमा करने के निर्देश के साथ एक लाख ई-न्यायाधिकरण के एकमुश्त मुआवजे को जमा करने का निर्णय। उक्त राशि ई-उत्तरदाता-उपार्जित ब्याज वाले दावेदार होंगे। संतुलन एअपीलार्थी द्वारा देय-बीमा कंपनी को एक के भीतर भुगतान किया जाएगा

आज से दो महीने।

विका गुजराल

अपील

सी